न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 66 / 2008 (2008 / 00009) दर्ज दिनांक 18.02.2020
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,207,209 आर.टी.ए.

शीर्षक

श्री लक्ष्मणसिंह आत्मज नाथुसिंह राजपुत निवासी अड़सीपुरा त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. श्रीमती मोहनकंवर विधवा रामसिंह राजपुत निवासी अड़सीपुरा हाल निवास उम्मेद चौक, ब्राह्मणों की गली, जोधपुर (राज0) (डिलिट)
2. श्रीमती अनोप कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि दशरथसिंह राजपुत (राजावत) निवासी जोरावरसिंह गेट के अंदर, गंगा पोल, अजय राजपुरा हाउस, गलीचा फैक्ट्री, जयपुर (राज0)
3. श्रीमती पुष्प कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि कर्णसिंह राजपुत (देवड़ा) मु0 पो0 मेर माण्डावाड़ा जिला सिरोही (राज0)
4. श्रीमती दौलत कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि मनोहरसिंह राजपुत (चौहार) निवासी उम्मेद चौक, ब्राह्मणों की गली, जोधपुर (राज0)
5. श्रीमती राजेन्द्रकंवर पुत्री रामसिंह पत्नि राजवीरसिंह राजपुत (राठौड़) मु0 खातोली वाया किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0)
6. श्रीमती दीपकंवर पुत्री रामसिंह पत्नि गजेन्द्रसिंह राजपुत (राठौड़) निवासी पलासणी हाउस पावटा "बी" रोड इन्द्र भवन, जयपुर (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] अधिनियम

अधिवक्ता वादी:— श्री मदनलाल जीनगर
अधिवक्ता प्रतिवादीगण:— श्री पर्वतसिंह चु[illegible]वत (प्रति0 सं0 2 लगा[illegible]
पैरोकार सरकार

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 66 / 2008(2008 / 00009)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,207,209 आर.टी.ए.

दिनांक 25.06.2021

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अड़सीपुरा पटवार क्षेत्र चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 453 में निम्न कृषि आराजियात स्थित हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है आराजी नं0 437 रकबा 0.16 हे0, आराजी नं0 438 रकबा 0.16 हे0, आराजी नं0 530 रकबा 0.20 हे0, 530 / 2621 रकबा 0.20 हे0, 749 रकबा 0.03 हे0, 750 रकबा 0.03 हे0, 751 रकबा 0.17 हे0, 1183 रकबा 0.08 हे0, 1236 रकबा 0.38 हे0, 1237 रकबा 0.43 हे0, 1253 रकबा 0.43 हे0 1442 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.51 हे0 स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात जागीर के समय की होकर मुतवकी नाहरसिंह आत्मज सरदारसिंह की होने से व मुतवकी रामसिंह उनके बड़े लड़के होने से उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रमाण में नकल जमाबंदी सवंत् 2061 से 2064 तक साथ संलग्न है।

यह कि रामसिंह आत्मज गोद ग्राम राजोल खुर्द तहसील माण्डा जिला पाली मे चले आने से वंही रहे रहे हैं तथा वही बाघसिंह के हिस्से पर काबिज होकर स्थायी रूप से जोधपुर में निवास किया तथा वही वे स्वर्गस्थ हो गये इस प्रकार अडसीपुरा का हक वादी के पिता नाथुसिंह के हक हिस्से में रहाव पुश्तैनी तौर पर वादी उक्त भूमि पर नाथुसिंह के बाद काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नाथुसिंह व नाहरसिंह जी सगे भाई थे, जिससे कुछ खातो में भूमि संयुक्त दर्ज चली आ रही है। जागीदारी प्रथा के समय नाहरसिंह के जेष्ठाधिकार मे जा भूमि दर्ज थी वह तन्हा रामसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई जबकि रामसिंह की ग्राम अडसीपुरा की सकुनत तर्क वर वर्षो पूर्व जोधपुर में निवास करने लग गये थे और बाघसिंह की भूमि पर दत्तक पुत्र की हैसीयत से राजोला खुर्द की भुमि पर काबिज हो गये थे। रामसिंह के राजोला खुर्द चले जाने से एवं वादी के सहोदर भाई होने से वादपत्रके चरण कम एक में अंकित आराजियात रामसिंह के खाते में अभिलिखित हो गई और उनकी मृत्युपरांत प्रतिवादिया संख्या एक लगायत छह के नाम दर्ज चली आ रही है। जबकि भुमि निजाई पर वादी ही काश्त करता चला आ रहा है जिसे पचास वर्ष से अधिक समय हो चुका है। रामसिंह का भी स्वर्गवास हो गया है। प्रतिवादिया संख्या [illegible] राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो जाने से वह उक्त भूमि को खुर्द – बुर्द करना चाहते है जिससे वादी के हक अधिकारो के लिए वाद पत्र प्रस्तुत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 66/2008(2008/00009)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,207,209 आर.टी.ए.

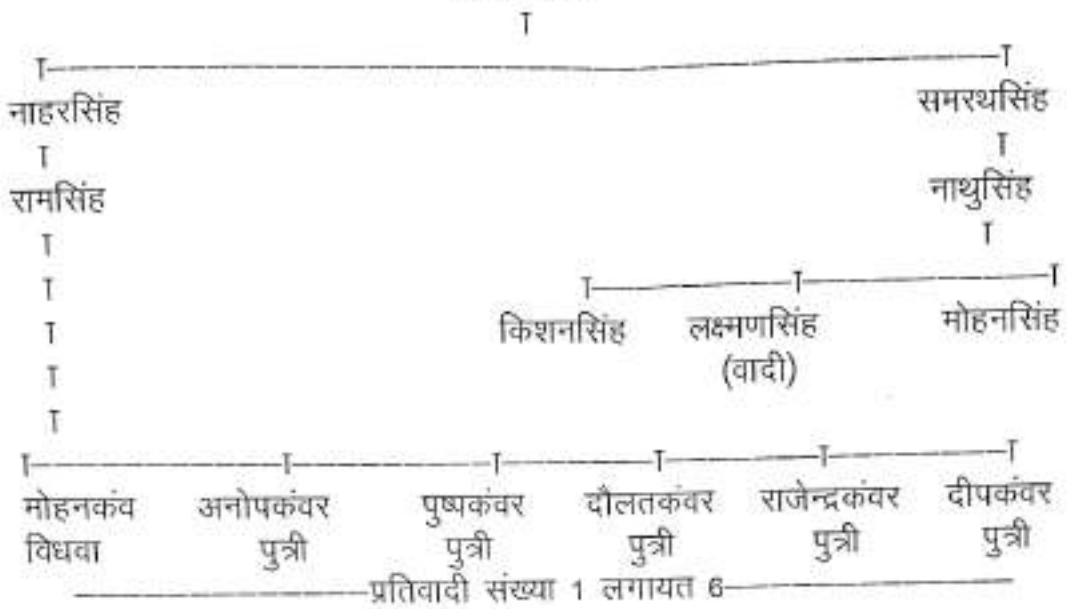

यह कि वादी एवं प्रतिवादियागण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

सरदारसिंह

- नाहरसिंह
  - रामसिंह
    - मोहनकंव (विधवा)
    - अनोपकंवर (पुत्री)
    - पुष्पकंवर (पुत्री)
    - दौलतकंवर (पुत्री)
    - राजेन्द्रकंवर (पुत्री)
    - दीपकंवर (पुत्री)

    ———प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6———
- समरथसिंह
  - नाथुसिंह
    - किशनसिंह
    - लक्ष्मणसिंह (वादी)
    - मोहनसिंह

यह कि ग्राम अड़सीपुरा की जो विवादित भूमियां है जिनका वर्णन वादपत्र के चरण कम एक में किया गया है जो तन्हा मृतक रामसिंह आत्मज नाहरसिंह के नाम पर जेष्ठाधिकार से दर्ज चली आ रही है उस पर काश्त वादी कर रहा है तथा रामसिंह के जोधपुर चले जाने से एवं राजोल खुर्द की भुमि पर काबिज होने से राजोल खुर्द में स्थित बाघसिंह के खातेदारी की भुमियां रामसिंह गोद तक लिये जाने से उक्त भुमियां उनके नाम दर्ज हो चुकी है और उनकी वफादगी के बाद उनके उत्तरजीवी वारिसान प्रतिवादियागण संख्या एक लगायत 6 के नाम दर्ज हो चुकी हैं। परन्तु वारिसान की नियत में खोट आने से अड़सीपुरा की भुमियों को अपने नाम का बैजा फायदा उठाते हुए बेचने पर आमादा है तथा पारिवारिक व्यवस्था एवं रिति रिवाज को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिससे वादी को उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने एवं राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाना आवश्यक हो रहा है। बिना मुखासमत दावा हाजा उनके द्वारा दिनांक 15.04.2008 को धमकाने व बेचने की घोषणा करने से उत्पन्न होकर जारी है।

यह कि स्वर्गीय रामसिंह वदीमाना तौर पर ग्राम राजोला खुर्द जिला पाली मे अवस्थित बाघसिंह की भूमि पर ही काबिज हुए है तथा उन्होने अपने जीवन काल में जोधपुरा में नौकरी पेशा होने से वही स्थित हो गये। वादी के परिवार में सामाजिक रिती रिवाज हो[illegible] यदा कभी अड़सीपुरा आते थे। भाईयों मे आपसी किसी प्रकार क[illegible] इत्तफाक नहीं था किन्तु उनके वारिसान के प्रलोभन आ [illegible] मान रहे है व नही उनका किसी भु–भाग पर [illegible]। ऐसी स्थिति मे केवल राजस्व रेकार्ड की गलती से ही वे अपना अधिकार [illegible]मा रहे है जो किसी प्रकार चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:30:00 IST
Reason: SelfAttested

3.

(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

लगान सदैव वादी ही देता रहा है, काश्त भी वही कर रहा है किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता व पति का नाम अंकित होने से लगान उन्ही के नाम से जमा होता रहा है जो रसीदे वादी के पास थी जो भी प्रतिवादीगण ने देखने के बहाने से अपने कब्जे मे रख ली। प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त कही पर भी नहीं रहा। इसके विपरीत वादी निर्बाधरूप से लगातार पिछले 50 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मृतक रामसिंह के गोद चले जाने एवं वादी का कब्जा मुखालपाना के आधार पर वादी वाद पत्र के चरण क्रम एक में वर्णित भूमियों को अपने नाम पर अधिकारिक अभिलेखो में दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 6 मृतक रामसिंह के विधि उतराधिकारीगण होकर प्रतिवादी संख्या एक पत्नि है तथा प्रतिवादीगण संख्या दो लगायत छ पुत्रियां है। वादी के अन्य दो भाई क्रमशः किशनसिंह व मोहनसिंह है परन्तु भूमि निजाई पर उनका आधिपत्य नही होने से उनके वाद पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। मृतक रामसिंह के कोई पुरूष संतान नहीं हैं तथा वर्तमान प्रतिवादीगण भी राजोला खुर्द भी भुमि पर काबिज होकर उनकी पत्नि जोधपुर में ही निवास कर रही है तथा उनकी पुत्रियां अपने –अपने ससुराल मे सुव्यवस्थित है। रामसिंह के सारे पारिवारिक कार्य जोधपुर में ही सम्पन्न हो रहे है। तात्पर्य यह हैं कि केवल अड़सीपुरा की भुमि उनके नाम अभिलिखित हैं। बाकि यंहा उनका किसी तरह का कोई हक व अधिकार नहीं है।

यह कि भुमि निजाई पुश्तैनी होकर वादी के कब्जे अधिकार में है तथा रामसिंह के दतक चले जाने से एक व्यक्ति दो जगह की सम्पत्तियों का उपयोग उपभोग कानूनन नही कर सकता है। वैसे भी भूमि निजाई पर पिछले 50 वर्षो से मृतक रामसिंह या उनके विधिक उतराधिकारीगण का भी कोई हक व दखल नही रहा है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा नही होने से वादी उनका नाम राजस्व रेकार्ड में डिलीट कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि :–

कि वादपत्र में वर्णित आराजियात ग्राम अड़सीपुरा पटवार क्षेत्र चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 453 में स्थित आराजी नं0 437 रकबा 0.16 हे0, आराजी नं0 438 रकबा 0.16 हे0, आराजी नं0 530 रकबा 0.20 हे0, 530 / 2621 रकबा 0.20 हे0, 749 रकबा 0.03 हे0, 750 रकबा 0.03 हे0, 751 रकबा 0.17 हे0, 1183 रकबा 0.08 हे0, 1236 रकबा 0.38 हे0, 1237 रकबा 0.43 हे0, 1253 रकबा 0.43 हे0 1442 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.51 हे0 भूमि जो प्रतिवादीगण [illegible] नाम पर अभिलिखित है में वादी का 50 वर्ष से अधिक का कब्जा [illegible] से कब्जा मुखालपाना के आधार पर वादी को खातेदार कृषक [illegible] बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह कि वादी के पक्ष में उक्त वर्णित आराजियात पर वादी को कब्जे काश्त करने में प्रतिवादीगण या उनके नौकर , एजेन्ट आदि कोई रोक टोक नहीं करे, करावे एवं वाद के अंतिम निस्तारण तक भुमियां निजाई को रहन , बय , बक्षीस नही करे व न खुर्द – बुर्द करे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

यह कि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत छः का नाम डिलीट फरमाया जाकर वादी का नाम अंकित किये जाने की अज्ञप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें। तथा राजस्व रेकार्ड में तदनुसार दुरूस्ती की जावें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.06.2008 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 03, 04, 06 की ओर से दिनांक 17.08.2009 को जवाब पेश कर वादपत्र की कलम संख्या एक स्वीकार , कलम संख्या दो व तीन गलत होने से अस्वीकार, वाद पत्र की कलम संख्या चार जंहा तक भूमियां मृतक रामसिंह के नाम दर्ज होने का प्रश्न है स्वीकार है, शेष अस्वीकार हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या छह में जंहा तक प्रतिवादी संख्या एक लगायत छह के स्व0 रामसिंह के विधिक उत्तराधिकारी होने का प्रश्न है स्वीकार है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। वादी के अन्य दो भाई किशनसिंह एवं मोहनसिंह है लेकिन वादी समेत उनका इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं हैं मृतक रामसिंह की पत्नि वर्तमान में अड़सीपुरा एवं जोधपुर दोनों जगह निवास करती है और उनकी पुत्रियां भी समय पर अपने पीहर अड़सीपुरा आती जाती रहती है और अपने हिस्से की उपज का लाभ ले जाती है और किसी के बाहर रहने से भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। प्रतिवादियागण के नाम अंकित भूमि उन्हीं के कब्जे में है और वे ही इसकी उपज का लाभ ले रही है। भूमि निजाई पर वादी का कोई स्वत्व एवं कब्जा नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या सात गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तैनी नहीं होकर प्रतिवादियागण की पुश्तैनी हैं जिसमें वादी का कोई दखल एवं कब्जा नहीं हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 8, 9, 10 गलत होने से अस्वीकार हैं। कलम संख्या 11, 12 न्यायिक होने से जवाब की आवश्यकता नहीं हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 13 प्रार्थना वादी है जो गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही प्रतिवादियागण के अधिवक्ता ने अतिरिक्त कथन पेश किये जो इस प्रकार हैः– .यह कि वादी ने अपना हक पुश्तैनी जायदाद होने के कारण [illegible] है। तब उसके भाई किशनसिंह और मोहनसिंह भी इस मामले में आवश्यक पक्षकार होते है [illegible] पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद खारिज किये जोने योग्य [illegible] भूमियों के लिए एक मुकदमा स्व0 रामसिंह ने [illegible] इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादग्रस्त भूमियों में रामसिंह का 2 / 3 हिस्सा था जिसे बिना किसी कारण पटवारी से मिलीभगत कर 1 / 2 दर्ज [illegible] दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

5.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

उस वादपत्र के प्र0सं0 65 / 00 होकर वह दिनांक 08.03.04 को निर्णित हुआ जिसमें पटवारी के दुराचरण पर न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई और रामसिंह का भूमियों में 2/3 हिस्सा अंकित करने की डिकी प्रदान की। उसी वादपत्र में प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकी संख्या तीन में विवादित बिन्दु यह था कि आया वादी रामसिंह गोद चला गया जिससे वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हिस्सा नहीं हैं। यह तनकी वादी रामसिंह के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय हुई इस कारण इस बिन्दु पर पुनः वादपत्र प्रस्तुत करना रेस जुडिकेटा से बाधित है। इस निर्णय की वादी ने राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा के यंहा अपील प्रस्तुत की जिसमें उसके दो भाई किशनसिंह एवं मोहनसिंह भी अपीलान्ट थे, जिसके प्र0स0 102 / 04 थे जो दिनांक 28.02.07 को निर्णित हुई और उसमें भी इस वादपत्र में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात उसे खारिज किया गया और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का निर्णय यथावत रखा गया, जिससे भी मामला रेसजुडिकेटा के आधार पर बाधित हैं। यह कि वादी एवं उसके भाई मृतक रामसिंह के कोई पुत्र औलाद नहीं होने से किसी तरह प्रतिवादीगण को यंहा से भगा देना चाहते है इसी कारण उन्होंने प्रतिवादीगण की एक अन्य आराजी साबिक आराजी संख्या 874 रकबा 8 बिस्वा पर दखलंदाजी शुरू की तब रामसिंह ने एक वादपत्र प्रस्तुत किया जो 19.07.96 को उसके पक्ष में निर्णीत हुआ एवं उसके बाद भी लक्ष्मणसिंह द्वारा दखलंदाजी हुई तब रामसिंह ने एक मुकदमा थाना बागोर में दर्ज करवाया जो माण्डल सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड में रे0फौ0 में भी दिनांक 21.02.97 को लक्ष्मणसिंह एवं उसके भाई किशनसिंह को 447 भा0द0सं0 में दोषी मानते हुए परीविक्षा पर छोड़ा गया। इस प्रकार वादी एवं उसके भाई प्रतिवादीयागण की जायदाद में दखलंदाजी कर उनको भगा देने की कोशिश करते रहे है और बार–बार असफल होने पर भी नये मुकदमें दर्ज करवा देते हैं इसलिए सादर प्रार्थना हैं कि वादपत्र को खारिज फरमाते हुए प्रतिवादीगण को सिविल प्रकिया संहिता की धारा 35 ए के तहत विशेष हर्जा खर्चा दिलाये जाने हेतु वादी के विरूद्ध आदेश प्रदान किया जायें।

वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.10.2009 को प्रार्थना पत्र आदेश –1 नियम –10 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र जवाबबुल जवाब पेश करने बाबत् अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 जाप्ता दीवानी का पेश किया । प्रार्थी वादी का प्रा0पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी प्रतीत नहीं होने से खारिज किया गया एवं प्रार्थना पत्र जवाबबुल जवाब पेश करने बाबत् अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 जाप्ता दीवानी वास्ते जवाबबुल जवाब न्यायिक दृष्टि से समुचित होने से स्वीकार किया गया।

वादी के अधिवक्ता द्वारा [illegible] जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबदावा की कलम नम्बर जिस कदर लिखी गई गलत [illegible] अस्वीकार की है। रामसिंह राजपुत वाके ग्राम राजोलकी है [illegible] के [illegible] चले जाने से नाहरसिंह की आराजियात व जायदाद में [illegible] जवाबदावा की कलम नं0 02 गलत होकर अस्वीकार है। ग्राम [illegible] खुर्द पटवार क्षेत्र बोरड़ी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के तत्कालीन खातेदार बाघसिंह निः संतान थे तब रामसिंह जी उनके यंहा दत्तक पुत्र की हैसीयत से रहे तथा करीब 10–15 वर्ष बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:30:00 IST
Reason: SelfAttested

6.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

रामसिंह के एक जायन्दा पुत्र हुआ , जिसका नाम अमरसिंह था इसलिए राजस्व रेकार्ड में रामसिंह के साथ–साथ अमरसिंह का नाम की प्रविष्टि की गई। कालान्तर में आधी जमीन अरमसिंह के रही तथा आधी रामसिंह के रही तथा रामसिंह की मृत्युपरांत उनकी पत्नि मोहनकंवर के नाम अभिलिखित कर दी गई, जिसकी पुष्टि राजस्व रेकार्ड की ताजा जमाबंदी की प्रति से होती है। श्री बाघसिंह की चल अचल सम्पत्ति पर रामसिंह दत्तक पुत्र बाघसिंह बतौर दत्तक पुत्र काबिज होने से रामसिह का अब नाहरसिंह जी की आराजियात एवं जायदाद पर कोई अधिकार नही रहा, तथा नाहरसिंह की आराजियात एवं जायदाद एवं समस्त चल अचल सम्पत्ति पर वादी बतौर मालिक काबिज होकर बिना किसी रोक टोक शांति पूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग नाहरसिंह के स्वर्गवास के बाद करते चले आ रहे है तथा नाहरसिंह की आराजियात व जायदाद को खुर्द बुर्द करने का अधिकार रामसिंह के वारिसान को नहीं है तथा नाहरसिंह की आराजियात सहवन से रामसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गयी, जिसको वादी पुनः अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने एवं वादी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग मे दखलनदांजी करते है, जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी प्रकार कलम संख्या 3 लगायत 10 सरासर गलत होकर अस्वीकार है। कलम नं0 11 के जवाब की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कलम संख्या 12 व 13 जिस कदर लिखी गई अस्वीकार की है। वादी अधिवक्ता द्वारा मजीद कथन में पुनः जवाब दोहराते हुए प्रार्थना की हैं कि वादी का जवाबुल जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का जवाबदावा अस्वीकार फरमाया जावे व वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वार जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार सरकार द्वारा जवाब हेतु बार – बार अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना की हैं कि वादी का वाद पत्र असत्य, मिथ्या व विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 21.10.2019 को वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीया संख्या एक श्रीमती मोहन कंवर विधवा रामसिंह राजपुत निवासी अड़सीपुरा हाल निवास उम्मेद चौक , ब्राह्मणो की गली , जोधपुर की मृत्यु हो गई है। प्रतिवादीया श्रीमती मोहन कंवर के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 रेकार्ड पर है । जिससे प्रति[illegible] कंवर का नाम मूलवाद पत्र में लाल स्याही से डिलिट किया जा[illegible] किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त प्रार्थन[illegible] अनापत्ति जाहिर की जिससे प्रार्थना पत्र [illegible] प्रतिवादीया संख्या एक श्रीमती मोहनकंवर विधवा रामसिंह राजपुत निवासी अ[illegible]पुरा हाल निवास उम्मेद चौक , ब्राह्मणो की गली , जोधपुर का नाम लाल स्याही से डिलिट करने का आदेश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

वाद पत्र में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी वाद ग्रस्त आराजियात पर 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज है और इस आधार पर काश्तकार खातेदार हाने योग्य है।

वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी

3. आया वादी ने किशनसिंह व मोहनसिंह को पक्षकार नही बनाने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी

4. आया प्रतिवादीगण के पूर्वज रामसिंह ने एक वादपत्र वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 65 / 2000 है। जो दिनांक 08.03.2004 को निर्णित हुआ तथा अपील भी दिनांक 28.02.2007 को निर्णित हुयी जिसमें यह बिन्दु तय हो जाने के कारण रेसजुडीकेटा से बाधित है।

प्रतिवादी

5. आया रामसिंह दत्तक चला गया जिससे प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहा।

वादी

वादी की साक्ष्य में शपथ पत्र P.W-1, P.W-2, P.W-3 प्रस्तुत किये गये हैं। लक्ष्मणसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी अड़सीपुरा के शपथ पत्र P.W-1 पर बयान किया कि मैंने मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र दिनांक 06.12.2019 को पेश किया जिस पर A से B मेंरे हस्ताक्षर हैं। जो सही है मैंने संवत् 2061 – 64 की जमाबंदी पेश की है जो प्रदर्श–1 है। जमाबंदी संवत् 2010 पेश की जो प्रदर्श 2 है। जमाबंदी संवत 2061–64 पेश की जो प्रदर्श 3 है। जिस पर जिरह प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई – यह सही है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। वाद मे मैंने मेरे पिताजी के खाते की नकल पेश नही की है यह कहना सही है कि रामसिंह जी व हमारे खाते मे शामलाती जमीन थी उसका मुकदमा मैंने लड़ा और वो दावा यंहा पर डिकी हुआ था। उस दावे की अपील मैंने RAA भीलवाड़ा में की थी। वो अपील भीलवाड़ा RAA से भी खारिज हुई उक्त जमीन का रकबा 52 बीघा 13 बिस्वा का था। उक्त दावा रामसिंह जी ने इस न्यायालय में किया था। जिसकी डिकी की अपील मैंने RAA भीलवाड़ा में की जो वह [illegible] हुई थी। यह कहना सही हैं कि रामसिंह के खाते की [illegible] कब्जा किया था उसका दावा इसी कोर्ट में रामसिंह जी [illegible] जो डिकी हुआ था। उक्त आराजी नं0 पूर्व में रामसिंह जी एवं हमारे शामलाती था। जो सेटलमेंट वालो ने अलग कर दिया था। यह कहना सही है कि विवादित आराजियात पूर्व में नाहरसिंह जी के नाम थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) [illegible] भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह सही है कि नाहरसिंह जी के एक ही लड़का रामसिंह है। यह सही है कि मरे दादाजी का नाम समरथ सिंह था। यह सही है कि पुराना मुकदमा जो 52 बीघा का चला था उसके जवाब में भी मैंने रामसिंह के राजोला गोद जाने की बात लिखी थी यह जमीन सरदार सिंह जी के नाम पर कब रही मुझे याद नहीं मैंने कोई जमबाबंदी पेश नहीं की है। यह कहना गलत हैं कि रामसिंह जी कभी अड़सीपुरा आते जाते हो। उनकी पत्नि मोहनकंवर का अंतिम संस्कार अड़सीपुरा में हुआ था। यह कहना सही है कि रामसिंह जी ने मेरे खिलाफ फौजदारी मुकदमा किया परन्तु मुझे सजा नही हुई थी। यह कहना सही है कि वो आराजी नं0 874 वर्तमान वादग्रस्त जमीन के पुराने खते में ही दर्ज हैं यह कहना सही है कि मैंने दावे में पराने खाते एवं नये खाते का मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया था। यह कहना सही है कि रामसिंह जी सामाजिक कार्यक्रम में यदा कदा आते थे। जो मुकदमा 52 बीघा का मैं हारा था वर्तमान में वो भी मेरे कब्जे में हैं। लगान मैं जमा करवाता था परन्तु उसकी रसीद मेरे पास नहीं हैं। मेरे भाई का नाम किशनसिंह एवं मोहन सिंह है वो बाहर नौकरी करते है। वादग्रस्त जमीन में उनका कोई किस्सा नहीं है किशनसिंह मोहन सिंह मरे सगे भाई है। मैंने कब्जे बाबत खसरा गिरदावरी की नकल पेश नही की हैं यह कहना सही हैं कि रामसिंह जी के कोई पुत्र ओलाद नही हैं। रामसिंह जी राजोला चले गये इसलिये जमीन का उपयोग–उपभोग मैं कर रहा हूँ। प्रदर्श डी–1 में हुये निर्णय में गोद आने से तथ्य कोर्ट ने नहीं माना।

इसी प्रकार किशनसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी अड़सीपुरा के शपथ पत्र P.W-2 पर बयान किया कि मैंने मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र आज दिनांक को पेश किया जिस पर A से B मेंरे हस्ताक्षर होकर सही हैं।

जिस पर जिरह प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई – यह सही है मेरे दादाजी का नाम समरथ सिंह जी था। एवं पिताजी नाथु सिंह जी थे। हम तीन भाई किशन सिंह, लक्ष्मण सिंह एवं मोहन सिंह है। जिसका दावा लक्ष्मण सिंह ने किया वो हमारी पुश्तैनी जमीन है उक्त जमीन नाथु सिहं के नाम कब रही मुझे याद नहीं हैं, विवादित जमीन वर्तमान शामलाती हैं जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त विवादित जमीन हमारे नाम पर नहीं है। नाथु सिंह को मरे हुए 40 – 50 वर्ष हो चुके है, शामिल खाते [illegible] जिसकी रसीद नहीं है, विवादित जमीन के कब्जा के संबंध में [illegible] हमने पेश नहीं की हैं। मैंने इस विवादित भूमि को मेरे [illegible] नही देखा था। रामसिंह जी ने हमारे तीनो भाईयों के खिलाफ दावा किया था जो अलग खाते का था। उसमे क्या फैसला हुआ मुझे ध्यान नही है। उक्त के जवाब दावे मैंने साईन तो किये थे। पर उसमे क्या लिखा मुझे याद नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

यह सही है रामसिंह जी के कोई पुत्र औलाद नहीं है। रामसिंह जी गोद चले गये उसके बाद से ही जमीन पर कब्जा हमारा ही है और हम ही बोते है। भीलवाड़ा के फैसले का मुझे ध्यान नहीं है। रामसिंह जी के गोदनामा मैने नहीं देखा परन्तु उस समय पगड़ी रस्म होती थी। रामसिंह जी की पगड़ी मैंने नही देखी मेरे पिताजी कहते थे। गोद की लिखा पढ़ी मैने नहीं देखी। रामसिंह जी की पत्नी मर गई हो तो मैने नहीं सुना। रामसिंह की पत्नी गोद चले जाने से उनकी पत्नी मेरे कुछ नही लगती है। रामसिंह जी को मैंने एक दो बार देखा था। साक्ष्यवादी रिबेटल रखते हुए बंद की गई। साक्ष्यप्रतिवादी हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने से साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई।

वादी अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। यह कि वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा : 88, 89, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 27.05.2008 को प्रस्तुत किया गया।

यह कि वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :– यह कि पैरा एक वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात जागीर के समय की होकर मुतवफी नाहरसिंह जी आत्मज सरदारसिंह जी की होने से व मुतवफी रामसिंह जी उनके बड़े लड़के होने से उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। रामसिंह आत्मज नाहरसिंह जी के गोद ग्राम राजोला खुर्द तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली मे चले जाने से वही रहे है तथा वही बाघसिंह के हिस्से पर काबिज होकर स्थायी रूप से जोधपुर मे निवास किया तथा वही वे स्वर्गस्थ हो गये। इस प्रकार अडसीपुरा का हक वादी के पिता नाथुसिंह जी के हक हिस्से मे रहा व पुश्तैनी तौर पर वादी उक्त भुमि पर नाथुसिंह के बाद काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जागीरदारी प्रथा के समय नाहरसिंह जी के ज्येष्ठाधिकार मे जो भुमि दर्ज थी वह तन्हा रामसिंह जी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गई जबकि रामसिंह जी ग्राम अडसीपुरा की सकुनत तर्क कर वर्षो पूर्व जोधपुर में निवास करने लग गये थे और बाघसिंह जी की भुमि पर दतक पुत्र की हैसियत से राजोला खुर्द की भुमि पर काबिज हो [illegible] बाघसिंह जी के खातेदारी की भुमियां रामसिंह जी के गोद लिये [illegible] भुमियां उनके नाम दर्ज हो चुकी है। विवादित भूमि [illegible] से अधिक समय से काश्त करता चला आ [illegible] की मृत्यु उपरांत विवादित भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत छह के न[illegible] रेकार्ड में दर्ज हो जाने से वे उक्त भुमि को खुर्द बुर्द करना चाह रहे है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादियागण ने वादी को दिनांक 15.04.2008 पन्द्रह अप्रेल दो हजार आठ को ऐलानिया धमकिया देना शुरू की कि वे भुमि को बय, बक्षीस कर खुर्द बुर्द कर देगी। जिससे वादी के हक अधिकारो के लिए वाद पत्र प्रस्तुत करने की नौबत आई है।

कि वादी एवं प्रतिवादियागण का सजरा निम्नानुसार है :–

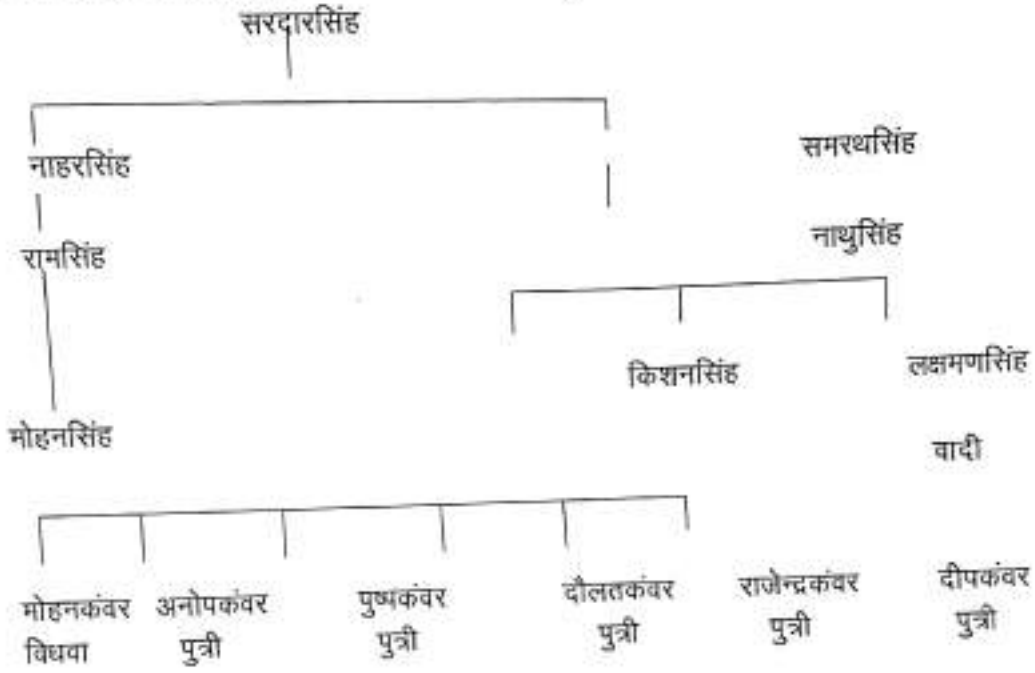

विवादित आराजियात प्रतिवादियागण के नाम दर्ज होने से एवं नियत में खोट आ जाने से भूमियां बेचने पर आमादा है। जिससे वादी को उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने एवं राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाना आवश्यक हो रहा है। स्वर्गीय रामसिंह जी कदीमाना तौर पर ग्राम राजोला खुर्द जिला पाली में अवस्थित वाघसिंह जी की भुमि पर ही काबिज हुए है तथा उन्होंने अपने जीवन काल मे जोधपुर मे नौकरी पेशा होने से वही स्थित हो गये। वादी के परिवार मे सामाजिक रीति रिवाज होने से स्वर्गीय रामसिंह जी यदा कदा कभी अडसीपुरा आते थे वह वादी के पास ही रहते थे और मिल जुल कर वापस चले जाते थे। प्रतिवादियागण का विवादित भू भाग पर कब्जा नही रहा है। लगान सदैव वादी ही देता रहा है, काश्त भी वही कर रहा है किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादियागण के पिता व पति का नाम अंकित होने से लगान [illegible] के नाम से जमा होता रहा है। प्रतिवादियागण का कब्जा [illegible] कभी [illegible] भी नहीं रहा। इसके विपरीत वादी निर्बाध रूप से लगातार पिछले 30 [illegible] समय से काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। मृतक रामसिंह जी के गोद चले जाने एवं वादी का कब्जा मुखालपाना के आधार पर वादी वाद पत्र के चरण क्रम एक मे वर्णित भुमियों को अपने नाम पर अधिकारिक अभिलेखो में दर्ज कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादियागण संख्या एक लगायत छह मृतक रामसिंह जी के विधिक उतराधिकारीगण होकर प्रतिवादीया संख्या एक पत्नि है तथा प्रतिवादियागण संख्या दो लगायत छह पुत्रियां है। वादी के अन्य दो भाई क्रमश : किशनसिंह व मोहनसिंह है परन्तु भुमि निजाई पर उनका आधिपत्य नही होने से उनको वाद पत्र मे पक्षकार संयोजित नही किया गया है। मृतक रामसिंह जी के कोई पुरूष संतान नही है वर्तमान में प्रतिवादियागण राजोला खुर्द की भुमि पर काबिज है। रामसिंह जी पत्नि जोधपुर में ही निवास कर रही है। तथा उनकी पुत्रियां अपने अपने ससुराल में सुव्यवस्थित है। रामसिंह जी के सारे पारिवारिक कार्य जोधपुर में ही सम्पन्न हो रहे है तात्पर्य यह है कि केवल अडसीपुरा की भुमि उनके नाम अभिलिखित है बाकी यहां उनका किसी तरह का कोई हक व अधिकार नही है। रामसिंह जी व उनका परिवार पिछले 50 पचास से भी अधिक वर्षो से यहां नही रह कर जोधपुर में ही रह रहे है। भुमियां निजाई मे वादी का अधिकार विधि सम्मत भी बनता है। भुमि निजाई पुश्तैनी होकर वादी के कब्जे अधिकार में है। तथा रामसिंह जी के दतक चले जाने से एक व्यक्ति दो जगह की सम्पतियों का उपयोग उपभोग कानूनन नही कर सकता है। वैसे भी भुमि निजाई पर पिछले 50 पचास वर्षो से मृतक रामसिंह जी या उनके विधिक उतराधिकारीगण का भी कोई हक व दखल नही रहा है तथा प्रतिवादियागण का कब्जा नही होने से वादी उनका नाम राजस्व रेकार्ड से डिलीट कराने का अधिकारी है। रामसिंह जी राजोला खुर्द श्री बाघसिंह जी के गोद चले गये। तथा उनकी चल अचल सम्पति पर रामसिंह जी काबिज होने से रामसिंह जी का अब नाहरसिंह जी की आराजियात एवं जायदाद पर कोई अधिकार नही रहा तथा नाहरसिंह जी की आराजियात, जायदाद एवं समस्त चल अचल सम्पति पर वादी बतौर मालिक काबिज होकर बिना किसी रोक–टोक शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग नाहरसिंह जी के स्वर्गवास के बाद करते चले आ रहे है। तथा नाहरसिंह जी की आराजियात एवं जायदाद को खुर्द बुर्द करने का रामसिंह जी के वारिसान को अधिकार नही है। तथा नाहरसिंह जी की आराजियात सहवन से रामसिंह जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। जिसको वादी पुनः अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।

अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने वादपत्र के चरण क्रम एक में अंकित आराजियात जो प्रतिवादीगण सं0 एक लगायत छह के नाम पर अभिलिखित है। वादी का 50 वर्षो से अधिक का कब्जा होने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने की आज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे। आराजियात पर वादी को कब्जा काश्त करने में प्रतिवादीगण या उनके नौकर, एजेन्ट आदि कोई रोक–टोक नही करें, करावें एवं वाद के अन्तिम निस्तारण तक भूमियां निजाई को रहन,बय,बक्षीस नही करें व न खुर्द बुर्द करें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण सं0 एक लगायत छह का नाम डिलीट फरमाया जाकर वादी का नाम अंकित किये जाने की आज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें। तथा राजस्व रेकार्ड में तदनुसार दुरूस्ती की जावें प्रार्थना की गई।प्रतिवादिया संख्या 1 श्रीमती मोहन कंवर की मृत्यु हो जाने से उनका नाम मूल वादपत्र में डिलीट किये जाने का अंकन लाल स्याही से किया गया। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की रामसिंह आत्मज नाहरसिंह जी ग्राम राजोला गोद नही गये। और बाघसिंह जी की भूमि उनके गोदपुत्र की हैसियत से नही आयी है। बाघसिंह जी के दो पुत्र अमरसिंह और रामसिंह थे। बाघसिंह जी को किसी पुत्र को गोद लेने की आवश्यकता ही नही थी। रामसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम पर उनकी भूमियाँ दर्ज हुई है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा नही रहा है। प्रतिवादियागण बहैसियत खातेदार होने से भूमियों को विक्रय करने व अन्य किसी को हस्तान्तरित करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी के अन्य दो भाई किशनसिंह व मोहनसिंह है। लेकिन वादी समेत उनका इस भूमि पर कब्जा नही है। प्रतिवादीगण के पूर्वज रामसिंह ने एक वादपत्र वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण संख्या 65 / 2000 है। जो दिनांक 08.03.2004 को निर्णित हुआ था। तथा अपील भी दिनांक 28.02.2007 को निर्णित हुई जिससे यह बिन्दु तय हो जाने के कारण रेसज्युडिकेटा से बाधित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई। यह कि उपरोक्त अभिवचनो के आधार पर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 21.10. 2019 को निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गए :—

1. आया वादी वाद ग्रस्त आराजियात पर पचास वर्ष से अधिक समय से काबिज है और इस आधार पर काश्तकार खातेदार हाने योग्य है।
   वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।
   वादी

3. आया रामसिंह दत्तक चला गया जिससे प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहा।
   वादी

4. आया वादी ने किशनसिंह व मोहनसिंह को पक्षकार नही बनाने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।
   प्रतिवादी

5. आया प्रतिवादीगण के पूर्वज रामसिंह [illegible] पत्र वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या [illegible] को निर्णित हुआ तथा अपील भी दिनांक 28.02.2007 को [illegible] हुयी जिसमें यह बिन्दु तय हो जाने के कारण रेसजुडीकेटा से बाधित है।
   प्रतिवादी

6. अनुतोष?

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

यह कि वादी की ओर से **मौखिक साक्ष्य** में पी0डब्लू0 1 लक्ष्मणसिंह (वादी स्वय), पी0डब्लू0 2 किशनसिंह परीक्षित हुए और **दस्तावेजी साक्ष्य** में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत 2061 से 2064, प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत 2010, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत 2061 को प्रदर्शित कराया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई परीक्षित नही हुए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी0 1 को प्रदर्शित करवाया गया।

यह कि वादी की ओर से विवाद्यको का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार न्यायालय हाजा के समक्ष सादर प्रस्तुत है :–

1. <u>विवाद्यक संख्या एक</u> –

आया वादी वादग्रस्त आराजियात पर पचास वर्ष से अधिक समय से काबिज है। और इस आधार पर काश्तकार खातेदार होने योग्य है ?

<u>वादी</u>

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार वादी पर था।

साक्षी पी0डब्लू0 1 लक्ष्मण सिंह ने शपथ पत्र पर लिपिबद्ध कथन पेश किया और वादी ने वाद पत्र स्वीकार किये जाने की पुरजोर प्रार्थना की है। यह कि रामसिंह आत्मज नाहरसिंह जी के गोद ग्राम राजोला खुर्द तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली मे चले जाने से वही रहे है तथा वही बाघसिंह के हिस्से पर काबिज होकर स्थायी रूप से जोधपुर मे निवास किया तथा वही वे स्वर्गस्थ हो गये। इस प्रकार अडसीपुरा का हक वादी के पिता नाथुसिंह जी के हक हिस्से मे रहा व पुश्तैनी तौर पर वादी उक्त भुमि पर नाथुसिंह के बाद काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नाथूसिंह जी व रामसिंह जी के कुछ खातो मे भुमि संयुक्त दर्ज चली आ रही है। जागीरदारी प्रथा के समय नाहरसिंह जी के ज्येष्ठाधिकार मे जो भुमि दर्ज थी वह तन्हा रामसिंह जी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गई जब कि रामसिंह जी ग्राम अडसीपुरा की सकुनत तर्क कर वर्षो पूर्व जोधपुर मे निवास करने लग गये थे और बाघसिंह जी की भुमि पर दतक पुत्र की हैसियत से राजोला खुर्द की भुमि पर काबिज हो गये थे। रामसिंह जी की मृत्यु उपरांत विवादित भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत छह के नाम रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जबकि भुमि निजाई पर वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। जिसे 50 पचास वर्ष से अधिक समय हो चुका है।

प्रतिवादीगण द्वारा वादी से [illegible] की गयी जिरह में वादी ने कथन किया कि यह कहना [illegible] अडसीपुरा आते जाते हो उनकी पत्नि मोहन कंवर का अंतिम संस्कार अडसीपुरा में हुआ था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

लगान मैं ही जमा करवाता था परन्तु उसकी रसीद मेरे पास नही है। रामसिंह राजोला चले गये इसलिए जमीन का उपयोग उपभोग में कर रहा हूँ।

साक्षी पी0डी0 2 किशनसिंह ने शपथपत्र पर लिपिबद्ध कथन पेश किया। उक्त साक्षी ने वाद पत्र एवं वादी के कथनों की पुष्टि की है। प्रतिवादीगण द्वारा साक्षी से जिरह में साक्षी ने कथन किया की। लक्ष्मणसिंह ने दावा किया की यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। नाथूसिंह जी को मरे हुए चालीस पचास वर्ष हो गये है। रामसिंह जी गोद चले गये उसके बाद से जमीन पर कब्जा हमारा ही है और हम ही बोते है।

वादी द्वारा यह भी आधार लिया गया कि मृतक रामसिंह जी के कोई पुरूष संतान नही है वर्तमान में प्रतिवादियागण राजोला खुर्द की भुमि पर काबिज है। रामसिंह जी पत्नि जोधपुर में ही निवास कर रही है। तथा उनकी पुत्रियां अपने अपने ससुराल में सुव्यवस्थित है। रामसिंह जी के सारे पारिवारिक कार्य जोधपुर में ही सम्पन्न हो रहे है तात्पर्य यह है कि केवल अडसीपुरा की भुमि उनके नाम अभिलिखित है बाकी यहां उनका किसी तरह का कोई हक व अधिकार नही है। रामसिंह जी व उनका परिवार पिछले 50 पचास से भी अधिक वर्षो से यहां नही रह कर जोधपुर ही रह रहे है। भुमियां निजाई मे वादी का अधिकार विधि सम्मत भी बनता है। इस आधार की ताईद वादी व पी0डी0 2 ने की है।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई परीक्षित नही हुए है। उक्त विवाद्यक संख्या 1 वादी ने बखूबी अपने पक्ष में प्रमाणित करवाया है।

उपरोक्त विवेचन, मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक संख्या 1 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हक में निर्णित फरमाया जावें।

2. विवाद्यक संख्या दो –
आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ?

वादी

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार वादी पर था।

साक्षी पी0डी0 1 लक्ष्म[illegible] लिपिबद्ध कथन पेश किया और वादी ने वाद पत्र स्वीकार किये जाने [illegible] प्रार्थना की है। ग्राम अडसीपुरा की जो विवादित भुमियां [illegible] एक मे किया गया है जो तन्हा मृतक रामसिंह [illegible] जी के नाम पर ज्येष्ठाधिकार से दर्ज चली आ रही है उस पर काश्त वादी [illegible] रहा है तथा रामसिंह जी के जोधपुर चले जाने से एवं राजोला खुर्द की भुमि पर काबिज होने से एवं राजोला खुर्द मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

स्थित बाघसिंह जी के खातेदारी की भुमियां रामसिंह जी को गोद लिये जाने से उक्त भुमियां उनके नाम दर्ज हो चुकी है और उनकी वफादगी के बाद उनके उतरजीवी वारिसान प्रतिवादियागण संख्या एक लगायत छह के नाम दर्ज हो चुकी है परन्तु वारिसान की नियत में खोट आने से अडसीपुरा की भुमियों का अपने नाम पर होने का बैजा फायदा उठाते हुए बेचने पर आमादा है। जिससे वादी को उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने एवं राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाना आवश्यक हो रहा है। रामसिंह जी के सारे पारिवारिक कार्य जोधपुर में ही सम्पन्न हो रहे है तात्पर्य यह है कि केवल अडसीपुरा की भुमि उनके नाम अभिलिखित है बाकी यहां उनका किसी तरह का कोई हक व अधिकार नही है। रामसिंह जी व उनका परिवार पिछले 50 पचास से भी अधिक वर्षों से यहां नही रह कर जोधपुर ही रह रहे है। भुमियां निजाई मे वादी का अधिकार विधि सम्मत भी बनता है।

साक्षी पी0डी0 1 व पी0डी0 2 दोनो ने अपने शपथ पत्रो में इन्ही तथ्यों की पुष्टि की है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में भी साक्षियों ने कथन किया कि रामसिंह जी राजोला गोद चले गये। पचास वर्षों से वादी ही विवादित भूमि पर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई परीक्षित नही हुए है। उक्त विवाद्यक संख्या 2 वादी ने बखूबी अपने पक्ष में प्रमाणित करवाया है।

उपरोक्त विवेचन, मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हक में निर्णित फरमाया जावें।

3. <u>विवाद्यक संख्या तीन</u> –

आया रामसिंह दत्तक चला गया जिससे प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है ?

वादी

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार वादी पर था।

साक्षी पी0डी0 1 लक्ष्मण सिंह ने शपथ पत्र पर लिपिबद्ध कथन पेश किया और वादी ने वाद पत्र स्वीकार किये जाने की पुरजोर प्रार्थना की है। भुमि निजाई पुश्तैनी होकर वादी के कब्जे अधिकार में है। तथा रामसिंह जी के दतक चले जाने से एक व्यक्ति दो जगह की सम्पतियों का उपयोग उपभोग कानूनन नही कर सकता है। वैसे भी भुमि निजाई पर पिछले 50 पचास वर्षों से मृतक रामसिंह जी या उनके विधिक उतराधि[illegible] दखल नही रहा है तथा प्रतिवादियागण का कब्जा [illegible] राजस्व रेकार्ड से डिलीट कराने का अधिकारी है। [illegible] 3 तीन ग्राम राजोला खुर्द तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली [illegible] जामबन्दी संवत 2061 दो हजार इकसठ से 2064 दो हजार चौसठ तक से हो[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

Scanned with CamScanner

साक्षी पी0डब्लू0 1 व पी0डब्लू0 2 दोनो ने अपने शपथ पत्रो में इन्ही तथ्यों की पुष्टि की है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में भी साक्षियों ने कथन किया कि रामसिंह जी राजोला गोद चले गये। पचास वर्षो से वादी ही विवादित भूमि पर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई परीक्षित नही हुए है। उक्त विवाद्यक संख्या 3 वादी ने बखूबी अपने पक्ष में प्रमाणित करवाया है।

उपरोक्त विवेचन, मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हक में निर्णित फरमाया जावें।

4. <u>विवाद्यक संख्या चार</u> –
आया वादी ने किशनसिंह व मोहनसिंह को पक्षकार नही बनाने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है ?

प्रतिवादी

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था।

किशनसिंह व मोहनसिंह वर्षो पूर्व ग्राम अड़सीपुरा की सकूनत तर्क कर अपने परिवार सहित अन्यत्र निवास करने लग गये। ग्राम अड़सीपुरा में स्थित आराजियात में अपने अपने हिस्से की आराजियात को वादी लक्ष्मणसिंह को सिपुर्द कर दी। जिस पर वादी वर्षो से काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है।

वादी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 किशनसिंह व मोहनसिंह को पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय हाजा ने दिनांक 18.07.2011 को इस आशय पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया कि किशनसिंह व मोहनसिंह ने न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है।

किशनसिंह व मोहनसिंह को ग्राम अड़सीपुरा की आराजियात का उपयोग उपभोग वादी द्वारा किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही थी। जिस पर वह न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर कोई आपत्ति/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। साक्षी पी0डब्लू0 2 किशनसिंह स्वयं परीक्षित हुआ। उसने भी वादपत्र के तथ्यों की पुष्टि की है।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य मे कोई परीक्षित नही हुए। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा की पुष्टि किसी भी साक्षी द्वारा नही की गई। उक्त विवाद्यक को प्रतिवादीगण कतई साबित नही करवा पाये है। उक्त विवाद्यक संख्या 4 वादी ने बखूबी अपने पक्ष में प्रमाणित करवाया है।

उपरोक्त विवेचन, मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हक में निर्णित फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

5. <u>विवाद्यक संख्या पांच</u> –

आया प्रतिवादीगण के पूर्वज रामसिंह ने एक वादपत्र वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण संख्या 65/2000 है। जो दिनांक 08.03.2004 को निर्णित हुआ था। तथा अपील भी दिनांक 28.02.2007 को निर्णित हुई जिससे यह बिन्दु तय हो जाने के कारण रेसज्युडिकेटा से बाधित है ?

<u>प्रतिवादी</u>

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी0 1 में अंकित आराजियात कुल किता पांच कुल रकबा सतावन बीघा तेरह बिस्वा भूमि से सम्बन्धित वादपत्र निर्णित हुआ। उक्त वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 रा0टि0 एक्ट से समबन्धित था जबकि उक्त वाद पत्र विवादित आराजियात कुल किता चौबीस कुल रकबा 2.51 है0 धारा 88, 89, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित है। उक्त वाद पत्र में रेसज्युडिकेटा लागू नही होता है। यह वाद पत्र रेसज्युडिकेटा से बाधित नही है। रेसज्युडिकेटा का बिन्दु तथ्य व कानून का मिश्रित प्रश्न है और साक्ष्य लेखबद्ध करना आवश्यक है। साक्ष्य एवं जिरह आवश्यक है। दोनो वाद पत्रो में वाद हेतुक, अनुतोष भिन्न भिन्न है। प्रदर्श डी0ड0 1 के पेज संख्या 3 पर कलम संख्या 5 में न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अंकन किया है कि वादी जोधपुर में गोद चला गया और उसके वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही रहा तो उसे सम्पूर्ण हिस्से के हक घोषणा का दावा या क्रोस सूट लाना चाहिए था। इस कारण उक्त वादपत्र में रेसज्युडिकेटा लागू नही होता है।

उक्त विवाद्यक को प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य से परीक्षित नही करवाया है। प्रतिवादीगण उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे है। उक्त विवाद्यक संख्या 5 वादी ने बखूबी अपने पक्ष में प्रमाणित करवाया है।

उपरोक्त विवेचन, मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हक में निर्णित फरमाया जावें।

6. <u>विवाद्यक संख्या छह</u> –

अनुतोष ?

वादी ने उपरोक्त विवेचन, मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से विवाद्यक संख्या एक लगायत पांच को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हक में साबित कराया है। प्रतिवादीगण किसी भी [illegible] में साबित नही करवा पायें है।

अतः वादी का वा[illegible] 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] रोशनी में और वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के आधार पर वादी का वाद [illegible]स्वीकार फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कोई साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं कर लिखित बहस के आधार पर बहस की दौराने बहस प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुए वाद पत्र को प्रस्तुत जवाब में अतिरिक्त कथन का हवाला देते हुए कि वादी ने अपना हक पुश्तैनी जायदाद होने के कारण बताया है। तब उसके भाई किशनसिंह और मोहनसिंह भी इस मामले में आवश्यक पक्षकार होते हैं जिन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। यह कि वादग्रस्त भूमियां एवं अन्य भूमियों के लिए एक मुकदमा स्व0 रामसिंह ने वादी एवं उसके भाईयों के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादग्रस्त भूमियों में रामसिंह का 2/3 हिस्सा था जिसे बिना किसी कारण पटवारी से मिलीभगत कर 1/2 दर्ज कर दिया था। उस वादपत्र के प्र0सं0 65/00 होकर वह दिनांक 08.03.04 को निर्णित हुआ जिसमें पटवारी के दुराचरण पर न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई और रामसिह का भूमियों में 2/3 हिस्सा अंकित करने की डिक्री प्रदान की। उसी वादपत्र में प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकी संख्या तीन में विवादित बिन्दु यह था कि आया वादी रामसिंह गोद चला गया जिससे वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हिस्सा नहीं हैं। यह तनकी वादी रामसिंह के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय हुई इस कारण इस बिन्दु पर पुनः वादपत्र प्रस्तुत करना रेस जुडिकेटा से बाधित है। इस निर्णय की वादी ने राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा के यंहा अपील प्रस्तुत की जिसमें उसके दो भाई किशनसिंह एवं मोहनसिंह भी अपीलान्ट थे, जिसके प्र0स0 102/04 थे जो दिनांक 28.02.07 को निर्णित हुई और उसमें भी इस वादपत्र में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात उसे खारिज किया गया और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का निर्णय यथावत रखा गया, जिससे भी मामला रेसजुडिकेटा के आधार पर बाधित हैं। यह कि वादी एवं उसके भाई मृतक रामसिंह के कोई पुत्र औलाद नहीं होने से किसी तरह प्रतिवादीगण को यंहा से भगा देना चाहते है इसी कारण उन्होंने प्रतिवादीगण की एक अन्य आराजी साबिक आराजी संख्या 874 रकबा 8 बिस्वा पर दखलंदाजी शुरू की तब रामसिंह ने एक वादपत्र प्रस्तुत किया जो 19.07.96 को उसके पक्ष में निर्णीत हुआ एवं उसके बाद भी लक्ष्मणसिंह द्वारा दखलंदाजी हुई तब रामसिंह ने एक मुकदमा थाना बागोर में दर्ज करवाया जो माण्डल सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड में रे0फौ0 में भी दिनांक 21.02.97 को लक्ष्मणसिंह एवं उसके भाई किशनसिंह को 447 भा0द0सं0 में दोषी मानते हुए परीविक्षा पर छोडा गया। इस प्रकार वादी एवं उसके भाई प्रतिवादीयागण की जायदाद में दखलंदाजी कर उनको भगा देने की कोशिश करते रहे है और बार-बार [illegible] पर भी नये मुकदमें दर्ज करवा देते हैं । साथ ही [illegible] कि मेरे भाईयों का हिस्सा नहीं है । कब्जा [illegible] पेश नहीं किया । न्यायालय ने साक्ष्य पेश नहीं करने से रामसिंह के गोद [illegible] जाना नहीं माना जिसपर प्रदर्श डी-1 का अंकन किया गया। पैतृक सम्पत्ति का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:30:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वाद पत्र में भाईयों को पार्टी नहीं बनाया गया है। 50 वर्ष कब्जे के आधार पर कब्जा मुखालपाना साक्ष्य नहीं है। अतः सादर प्रार्थना हैं कि वादपत्र को खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त वादी की लिखित बहस एवं प्रतिवादी की बहस पर न्यायालय तनकीवार निष्कर्ष इस प्रकार है:–

यह कि वादी की ओर से विवाद्यको का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार न्यायालय हाजा के समक्ष सादर प्रस्तुत है :–

1. विवाद्यक संख्या एक –

आया वादी वादग्रस्त आराजियात पर पचास वर्ष से अधिक समय से काबिज है। और इस आधार पर काश्तकार खातेदार होने योग्य है ?

वादी

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार वादी पर था। परन्तु 50 वर्ष मुखालपाना कब्जे के आधार पर घोषित किया जाना उचित नहीं है। न ही वादी द्वारा कोई पैतृक सम्पत्ति का ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया हो जिससे साबित होता हो सरदार सिंह मूल पुरुष थे।

उपरोक्त विवेचन, आधार पर विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के हक में निर्णित की जाती है।

2. विवाद्यक संख्या दो –

आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ?

वादी

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार वादी पर था।

साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 व पी0डब्ल्यू0 2 दोनो ने अपने शपथ पत्रो में इन्ही तथ्यों की पुष्टि की है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में भी साक्षियों ने कथन किया कि कब्जा संबंधित खसरा नही है न ही लगान संबंधित कोई दस्तावेज उनके पास है।

उपरोक्त विवेचन दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में विवाद्यक संख्या 2 वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

3. विवाद्यक संख्या तीन

विवाद्यक संख्या तीन वादी के अधि[illegible] गलत अंकित की है। आया रामसिंह दत्तक चला [illegible] पर कोई अधिकार नही रहा है ? यह नही [illegible] व मोहनसिह को पक्षकार नही बनाने से वादपत्र खारिज किये जाने [illegible] है।

प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार वादी पर नहीं होकर प्रतिवादी पर था। वादपत्र के अवलोकन से साबित होता हैं कि वादी के अधिवक्ता द्वारा किशनसिंह व मोहनसिंह भाईयों को पार्टी नहीं बनाया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 3 वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के हक में निर्णित की जाती है।

4. <u>विवाद्यक संख्या चार</u> –
विवाद्यक संख्या चार वादी के अधिवक्ता द्वारा गलत अंकित की है। आया वादी ने किशनसिंह व मोहनसिंह को पक्षकार नही बनाने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है ? यह नहीं होकर आया प्रतिवादीगण के पूर्वज रामसिंह ने एक वादपत्र वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण संख्या 65/2000 है। जो दिनांक 08.03.2004 को निर्णित हुआ था। तथा अपील भी दिनांक 28.02.2007 को निर्णित हुई जिससे यह बिन्दु तय हो जाने के कारण रेसज्युडिकेटा से बाधित है ?

<u>प्रतिवादी</u>

उक्त विवाद्यक को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी द्वारा हवाला दिया कि वादी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 किशनसिंह व मोहनसिंह को पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय हाजा ने दिनांक 18.07.2011 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया। न्यायालय ने साक्ष्य पेश नहीं करने से रामसिंह के गोद चले जाना नहीं माना जिसपर प्रदर्श डी–1 का अंकन किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. <u>विवाद्यक संख्या पांच</u> –
विवाद्यक संख्या पांच वादी के अधिवक्ता द्वारा गलत अंकित की है। आया प्रतिवादीगण के पूर्वज रामसिंह ने एक वादपत्र वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण संख्या 65/2000 है। जो दिनांक 08.03.2004 को निर्णित हुआ था। तथा अपील भी दिनांक 28.02.2007 को निर्णित हुई जिससे यह बिन्दु तय हो जाने के कारण रेसज्युडिकेटा से बाधित है ? यह नहीं होकर आया रामसिंह दत्तक चला गया जिससे प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहा।

<u>वादी</u>

उक्त विवाद्यक को साबित [illegible] वादी द्वारा रामसिह दत्तक चला गया इस बाबत् को [illegible] किये। जबकि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय [illegible] रामसिंह के गोद चले जाना नहीं माना जिस पर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 को प्रदर्शित करवाया ।

उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

(उपखण्ड अधिकारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। प्रकरणमें तनकीवार निष्कर्ष जिसमें उक्तानुसार तनकी संख्या 01 से 05 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होती है। एवं तथाकथित वाद पत्र बाबत् जो विवरण वादी ने बहस में अंकित किया है वह प्रतिवादी द्वारा पेश पूर्व के प्रतिवाद पत्र व शपथपत्र जिरह के तथ्यों के विपरीत है। इस कारण यह वाद पत्र विधि अनुसार विचारणीय नहीं है। वादी ने अपनी लिखित बहस में कोई भी सारगर्भित तथ्य व कानून नहीं बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रदर्शित प्रदर्श डी–1 की रोशनी में वादी द्वारा रामसिंह गोद जाने से संबंधित कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं होने से न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई। साथ ही पैतृक सम्पत्ति का ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे सिद्ध होता हो कि सरदार सिंह मूल पुरूष थे। कब्जा संबंधित दस्तावेज भी पेश नहीं किया तथा भाईयों किशनसिंह एवं मोहनसिंह को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। केवल मात्र मुखालपाना के आधार पर कब्जा सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार उक्तानुसार पांचो तनकी सिद्व करने में वादी असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 207, 209 आर0टी0एक्ट का साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 207, 209 आर0टी0एक्ट का साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 66 / 2008 (2008 / 00009) दर्ज दिनांक 18.02.2020
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,207,209 आर.टी.ए.

शीर्षक

श्री लक्ष्मणसिंह आत्मज नाथुसिंह राजपुत निवासी अड़सीपुरा त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। वादी

बनाम

1. श्रीमती मोहनकंवर विधवा रामसिंह राजपुत निवासी अड़सीपुरा हाल निवास उम्मेद चौक, ब्राह्मणों की गली, जोधपुर (राज0) (डिलिट)
2. श्रीमती अनोप कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि दशरथसिंह राजपुत (राजावत) निवासी जोरावरसिंह गेट के अंदर, गंगा पोल, अजय राजपुरा हाउस, गलीचा फैक्ट्री, जयपुर (राज0)
3. श्रीमती पुष्प कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि कर्णसिंह राजपुत (देवड़ा) मु0 पो0 मेर माण्डावाड़ा जिला सिरोही (राज0)
4. श्रीमती दौलत कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि मनोहरसिंह राजपुत (चौहान) निवासी उम्मेद चौक, ब्राह्मणों की गली, जोधपुर (राज0)
5. श्रीमती राजेन्द्रकंवर पुत्री रामसिंह पत्नि राजवीरसिंह राजपुत (राठौड़) मु0 खातोली वाया किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0)
6. श्रीमती दीपकंवर पुत्री रामसिंह पत्नि गजेन्द्रसिंह राजपुत (राठौड़) निवासी पलासणी हाउस पावटा "बी" रोड इन्द्र भवन, जयपुर (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत [illegible] 188 [illegible] 209 [illegible]स्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी:- श्री [illegible]लाल जीनगर
अधिवक्ता प्रतिवादीगण:– श्री पर्वतसिंह [illegible]डावत (प्रति0 सं0 2 लगायत 6)
पेरोकार सरकार

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 66 / 2008(2008 / 00009)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,207,209 आर.टी.ए.

डिक्री दिनांक 25.06.2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल जीनगर, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चुण्डावत की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि ———×——— और इस वाद के खर्च लेखे ———×——— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ———×——— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ———×——— द्वारा ———×——— को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 207, 209 आर0टी0एक्ट का साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 25.06.2021को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:50:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner